

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)
उमाकान्त पुत्र श्री भीमसिंह जाति अहीर निवासी काठूवास तह0 मॉढण

बनाम

भीमसिंह पुत्र मोहनलाल जाति अहीर निवासी काठूवास तह0 मॉढण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

मु0न0 369/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>21.11.2024 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होती है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 565,566,49,305,152,153,158,746,568,569,570,571, 572,336,360,362,550,551,263,264,265,963 / 262, 965 / 275,661,337,573,173,174,535,17,18,19,20,4 74,475,476,106,528,563,564 वाके ग्राम काठूवास तह0 मॉढण जिला कोटपूतली-बहरोड. (राजस्थान) में उभयपक्षकारान मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थीगण रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थीगण यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दि0 23.12.24 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

